आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

28.08.2018

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद **नरेश हरिजन, पिता-स्व0 उपेन्द्र हरिजन, सा0-मजगामा, थाना-कसबा, जिला-पूर्णिया** द्वारा **अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के आदेश ज्ञापांक 679/आ0, दिनांक 23.10.2017 के आलोक में जनवितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 12/2016** को रद्द किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के उक्त आदेश में मुख्य रूप से वर्णित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कालाबाजारी के आरोप में कसबा थाना कांड सं0-187/2017 दर्ज कराई गई। इस संबंध में विक्रेता से कारणपृच्छा प्राप्त किया गया। कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं रहने के कारण उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई।

अपील आवेदन का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि कसबा थाना कांड सं0-187/2017 अंतर्गत जप्त गेहूँ एवं चावल अपीलार्थी के दुकान की नहीं है। अपीलार्थी का भण्डार एवं वितरण शतप्रतिशत सही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि अपीलार्थी और रिलाब देवी, पति-टुप्पन राय के परिवार से वर्ष 1998 से ही विवाद चल रहा है। जिसके आलोक में कई तरह का मुकदमा भी दायर हुआ है। रिलाब देवी द्वारा ही स्थानीय प्रशासन को दूरभाष पर गलत सूचना देकर दर्ज प्राप्तमिकी में अपीलार्थी का नाम शामिल कराया गया है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के ज्ञापांक 198/सी0आर0 दिनांक 27.01.2018 द्वारा कसबा थाना कांड सं0-187/2017 का प्रतिवेदन-03 सह अंतिम आदेश निर्गत किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि - इस प्रकार अबतक के अनुसंधान से इस कांड में नरेश हरिजन, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-लखना, लाईसेन्स नं0-12/2016 की संलिप्तता नहीं पाई गई है। अतएव माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति तथा गरीब अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति पुनर्बहाल करने की स्वीकृति दी जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (7 ई0सी0 एक्ट) पूर्णिया को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कालाबाजारी के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया का

अंतिम प्रतिवेदन निर्गत हो चुका है। आपराधिक मामला सक्षम न्यायालय में भी चल रहा है। तद्नुसार माननीय न्यायालय विचार कर सकती है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन, उनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन, विद्वान विशेष लोक अभियोजक का अभिकथन, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के ज्ञापांक 798/सी0आर0 दिनांक 27.01.2018 तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कालाबाजारी के तहत् मुकदमा दायर होने के कारण उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा उक्त कांड में अपीलार्थी की संलिप्तता नहीं बताई गई है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने के क्रम में मात्र दर्ज प्राथमिकी को आधार बनाया गया है, उनके आदेश में अपीलार्थी के विरूद्ध अन्य कोई आरोप वर्णित नहीं है। साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने के क्रम में अपीलार्थी के दुकान की जाँच नहीं की गई।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए **अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के आदेश ज्ञापांक 679/आ0, दिनांक 23.10.2017** द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति पुनर्बहाल करें।

निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।